POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 24.01.2026

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा ट्रकों की चोरी कर उन्हें गोदाम में ले जाकर काटने तथा ट्रकों के पार्ट्स काटकर बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी के 03 वाहन (गुड्स कैरियर ट्रक) तथा चोरी एवं वाहन काटने में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.01.2026** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 02 वाहन चोर अभियुक्त 1. सलमान पुत्र छोटन 2. भानू चौधरी पुत्र सुनील को गंदे नाले के पास सेक्टर-82 कट भंगेल से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/ निशानदेही से चोरी के 03 वाहन- टाटा गुड्स कैरियर ट्रक रजि0नं0- UP16FT0743, बुलेरो मेक्सीट्रक रजि0नं0- DL1LAD0637, महिंद्रा पिकअप रजि0नं0- DL1LAJ6669 व 02 केबिन (ट्रक व महिंद्रा पिकअप) तथा चोरी करने, वाहन काटने में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण- 02 ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर, 02 एलपीजी सिलेण्डर (घरेलू व कॉमर्शियल), 02 गैस कटर सहित अन्य विभिन्न उपकरण, भिन्न-भिन्न नंबर की 28 चाबियाँ, 05 पाना, 06 बोल्ट टाइटनर/लूजनर, 11 पेचकस, 02 प्लास, 01 छैनी, 01 मेटल कटर औजार व 09 घरेलू चाकू बरामद किए गए हैं।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण--

1. अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वे अपने अन्य साथियों फकरुद्दीन उर्फ फकरू, फरमान उर्फ मुल्ला जी, यूनुस, कलाम तथा उसके भाई साजिम के साथ मिलकर इण्डस्ट्रियल एरिया एवं सड़क किनारे खड़े कमर्शियल वाहनों की रेकी करने के उपरांत चोरी करते थे। चोरी किए गए वाहनों को अपने किराये के गोदाम, जो ग्राम दीनानाथपुर पुठ्ठी, जनपद हापुड़ में है जिसे ₹50,000/- प्रतिमाह पर लिया गया था, चोरी किए गए वाहनों को उक्त गोदाम में ले जाकर उनके पार्ट्स काटते थे तथा उन पार्ट्स को दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बाँट लेते थे। अभियुक्तों द्वारा पूर्व में थाना क्षेत्र सूरजपुर एवं दिल्ली से भी बड़े वाहनों की चोरी करना बताया गया है।
2. अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र में कॉमर्शियल बड़े वाहनों की चोरी कर उन्हें काटकर उनके अलग-अलग पार्ट्स बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।
3. अभियुक्तगण दिल्ली एवं गौतमबुद्धनगर के विभिन्न स्थानों से कॉमर्शियल वाहनों की चोरी कर उन्हें गोदाम में ले जाकर काटते थे तथा उनके पार्ट्स बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे।
4. अभियुक्तगण एक राय होकर कॉमर्शियल वाहनों की रेकी कर उन्हें चोरी कर गोदाम में ले जाकर काट देते थे, जिससे किसी को संदेह न हो तथा वे पुलिस की पकड़ से बच सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सलमान पुत्र छोटन निवासी शालीमार गार्डन, थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उम्र-29वर्ष, शिक्षा-कक्षा 11वीं।
2. भानू चौधरी पुत्र सुनील चौधरी शाही गार्डन शाहबेरी, थाना-बिसरख,गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष, शिक्षा-बीएससी।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ **अभियुक्त सलमान-**

1. मु0अ0सं0- 0198/2023 धारा 379/411/420 भादवि, थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2. मु0अ0सं0- 0199/2023 धारा 379/411/420 भादवि, थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
3. मु0अ0सं0- 0499/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना हापुड नगर जनपद हापुड
4. मु0अ0सं0- 1352/2026 धारा 305 (b) आईपी एस्टेट, सैन्ट्रल दिल्ली।
5. मु0अ0सं0- 1506/2026 धारा 305(b) नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0- 0049/2026 धारा 303 (2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 0017/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0- 0051/2026 धारा 317 (2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

⇓ **अभियुक्त भानू चौधरी-**

1. मु0अ0सं0 3300/2017 धारा 392/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 0931/2018 धारा 392/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 1130/2018 धारा 392/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 2406/2018 धारा 392/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 2510/2018 धारा 392/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 2600/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
7. मु0अ0सं0 1665/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
8. मु0अ0सं0- 1352/2026 धारा 305(b) आईपी एस्टेट, सैन्ट्रल दिल्ली।
9. मु0अ0सं0- 1506/2026 धारा 305(b) नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।
10. मु0अ0सं0- 0049/2026 धारा 303 (2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 0017/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0- 0051/2026 धारा 317 (2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. टाटा गुड्स कैरियर ट्रक रजि0नं0- UP16FT0743
2. बुलेरो मेक्सीट्रक रजि0नं0- DL1LAD0637
3. महिंद्रा पिकअप रजि0नं0- DL1LAJ6669
4. 01 ट्रक केबिन, 01 महिंद्रा पिकअप केबिन

5. चोरी एवं वाहन काटने में प्रयुक्त विभिन्न उपकरण- 02 ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर, 02 एलपीजी सिलेण्डर (घरेलू व कॉमर्शियल)
6. 02 गैस कटर सहित अन्य विभिन्न उपकरण
7. भिन्न-भिन्न नंबर की 28 चाबियाँ, 05 पाना, 06 बोल्ट टाइटनर/लूजनर, 11 पेचकस, 02 प्लास, 01 छैनी, 01 मेटल कटर औजार
8. 09 घरेलू चाकू

नोट: उक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

2. थाना सेक्टर- 63, नोएडा पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर अलग अलग UPI ID बनाकर व्यक्तियों से धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लैपटाप, 05 एन्ड्रोईड फोन, 01 कीपैड फोन, 02 एटीएम कार्ड,14500/-रुपये एवं घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा दिनांक 24.01.2026 को नौकरी दिलाने के नाम पर आमजन से धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त 1. आयुष पाण्डेय पुत्र स्व0 पवन पाण्डेय 2. शिवम पुत्र देशराज सिंह 3. प्रियांशु श्रीवास्तव पुत्र संजय कुमार श्रीवास्तव को डी पार्क सैक्टर-63 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 05 लैपटाप, 05 एन्ड्रोईड फोन, 01 कीपैड फोन, 02 एटीएम कार्ड,14500/-रुपये एवं घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार नं0 यूपी 65 एफएस 1502 बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण अलग-अलग जगह रास्ते में आने जाने वाले आमजन व मजदूर किस्म के लोगों से मिलकर उन्हें अपनी मजबूरी बताकर या लालच देकर उन्हें अपने विश्वास में लेकर उनसे उनका फोन व एटीएम कार्ड लेकर अलग अलग यूपीआई आईडी बनाकर उनके खातो में लोगो से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर तथा उसे एटीएम कार्ड के माध्यम से निकलवा कर खाता धारक को लालच देकर धोखाधड़ी कारित करते थे। अभि0गणो के मोबाइल से प्राप्त किये गये स्क्रीन शॉट जिसमे एक महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर अलग अलग लोगो का खाता इस्तेमाल कर अलग अलग यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर करीब 8,50,000/- रुपये की ठगी की गयी है। घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-63 सेन्ट्रल नोएडा पर मु0अ0सं0- 43/2026 धारा - 318(4)/319(2)/61(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण--

अभियुक्त आयुष पाण्डेय ने पूछताछ में बताया कि सह- अभि0 शिवम कुमार व प्रियांशु श्रीवास्तव आने जाने वाले जनता के व्यक्तियों व गरीब किस्म के लोगों को अपनी- अपनी मजबूरी बताकर व विश्वास में लेकर मेरे पास आते हैं

तथा मैं उन जनता के लोगो से उनका मोबइल व एटीएम कार्ड लेकर अलग- अलग- नामों से यूपीआई आईडी बनाता हूँ उनके खातो में लोगो से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेकर तथा उसे एटीएम कार्ड के माध्यम से निकलवा कर खाता धारक को लालच देकर धोखाधड़ी कर पैसे ले लेते है तथा गरीब लोगो को जिनके खाते उपयोग करते है उनको 1000/- से 1500/- रूपये दे देते है। खाता लेने के लिये हम लोग छोटे- छोटे मौहल्ले में जाते है। तथा वहां से लोगो को बहलाते फुसलाते है।

अभियुक्तगण का विवरण--

1. आयुष पाण्डेय पुत्र स्व0 पवन पाण्डेय निवासी ग्राम सिसवां थाना बडागांव जिला वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष शिक्षा- 12 वीं
2. शिवम पुत्र देशराज सिंह निवासी ग्राम चटेडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष शिक्षा- 10 वीं
3. प्रियांशु श्रीवास्तव पुत्र संजय कुमार श्रीवास्तव निवासी ग्राम सिसवां थाना बडागांव जिला वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष शिक्षा -12वीं

बरामदगी का विवरण--

05 लैपटॉप
05 एन्ड्रोईड मोबाईल फोन
01 कीपैड फोन,
02 एटीएम कार्ड,
14500/-रुपये
घटना मे प्रयुक्त गाडी स्विफ्ट रजि0 नं0 यूपी 65 एफएस 1502